गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम की कार्रवाई, 33 हजार जुर्माना वसूला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। निगम अमले ने सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान 150 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में निगम ने 33 हजार रुपये की राशि जुर्माना और स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की।

जोन स्तर पर की गई कार्रवाई में जोन क्रमांक 13 में 17 प्रकरणों से 2 हजार 200 रुपये, जोन क्रमांक 14 में 18 प्रकरणों से 9 हजार 600 रुपये, जोन क्रमांक 15 में 14 प्रकरणों से 6 हजार 500 रुपये, जोन क्रमांक 16 में 91 प्रकरणों से 9 हजार 200 रुपये और जोन क्रमांक 17 में 5 प्रकरणों से 5 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, नियमों का उल्लंघन करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

सीएनजी महंगी, कीमत 97.50 रुपये किलो

नप्र, भोपालः प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। भोपाल में थिंक गैस ने सीएनजी की कीमत 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी है। अब यह 97.50 रुपये प्रति किलो बिक रही है। कंपनी भोपाल, राजगढ़ और शिवपुरी में सीएनजी की आपूर्ति करती है। इस बढ़ोतरी के साथ पिछले छह महीनों में सीएनजी के दाम करीब 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं।

जून में इसकी कीमत करीब 94.55 रुपये प्रति किलो थी, जो जुलाई के अंत तक बढ़कर 97.50 रुपये हो गई। भोपाल में थिंक गैस के अपने पंपों पर सीएनजी 97 रुपये और डीलरशिप वाले पंपों पर 97.50 रुपये प्रति किलो मिल रही है। शहर में थिंक गैस के 31 सीएनजी स्टेशन हैं। इनमें मैनिट, नीलबड़, होशंगाबाद रोड और बैरागढ़ रोड सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश में थिंक, गेल और अवंतिका कंपनियां सीएनजी की आपूर्ति करती हैं।

बैगा जनजाति के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास करेगी सरकार : शुक्ल

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि बैगा जनजाति के संरक्षण और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम मछुरदा पहुंचकर बीमारी से प्रभावित बैगा परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बच्चों के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और उपचार संबंधी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के नियमित टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की और कहा कि

टीकाकरण संक्रामक बीमारियों से बचाव का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बैगा परिवारों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिलती है। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने मछुरदा उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि बालाघाट के जिला टीकाकरण अधिकारी को बदला गया है और जिला मलेरिया अधिकारी को हटाया गया है। मामले की जांच के बाद लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

कोविडकाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में केंद्र के समान लाभ की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण में केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग की है।

इस संबंध में एसोसिएशन ने मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2021 के आदेश के अनुसार संबंधित अवधि के लिए 21, 24 और 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते की गणना कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ दिया। वहीं, मध्यप्रदेश में 12 प्रतिशत की दर से गणना किए जाने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हुआ। संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने इसे असमान व्यवहार बताते हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। भोपाल जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित पदाधिकारियों ने शासन से तत्काल आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

पर्वों पर भोपाल में मांस विक्रय की दुकानें रहेंगी बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रयूषण पर्व, संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस और भगवान महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा में मांस, मुर्गा और मछली विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस, 16 सितंबर को प्रयूषण पर्व प्रथम दिवस, 25 सितंबर को अंतिम दिवस और 9 नवंबर को भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस पर पशुवध एवं मांस विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निरस्त कर पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

शीतल दास की बगिया में सावन महोत्सव का समापन 24 को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बड़े तालाब स्थित शीतल दास की बगिया (पिप्लेश्वर महादेव मंदिर) में आयोजित सावन सोमवार महोत्सव का 24 अगस्त को भव्य समापन होगा। अंतिम सोमवार को महाशृंगार, महाआरती और महाप्रसादी के विशेष आयोजन किए जाएंगे।

आयोजन किसी पंजीकृत समिति के माध्यम से नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के स्वयंसेवकों द्वारा जनसहयोग से किया जा रहा है। मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को शाम 5 बजे से रुद्राभिषेक, विशेष शृंगार और संकीर्तन आयोजित किए जा रहे हैं। रात 8 बजे बड़े तालाब के तट पर काशी की तर्ज पर दीप महाआरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। पिछले सोमवारों में बाबा का भस्म रमैया, भूतेश्वर और नागचंद्रेश्वर स्वरूप

में आकर्षक शृंगार किया गया।

मुख्य सेवादार जितेंद्र यादव ने बताया कि 24 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार पर विशेष महाशृंगार के साथ सामूहिक ध्यान का आयोजन होगा। इसके बाद दीप महाआरती की जाएगी। आयोजन में 3000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है। आयोजन को सफल बनाने में जितेंद्र यादव, मिथलेश नामदेव, प्रतीक चौरसिया, शिवम गुप्ता, सुजल ठाकुर, अमित चौहान, पीयूष मालवीय, मोहित, अंकित, सुरभि मिश्रा, भूमि ठाकुर, सिमरन कौर, अमृता मेहरा, शिवि जाटव, रितेश प्रजापति, नीलम साध, मुस्कान गुप्ता, निखिल, विष्णु थापा, कपिल मेहरा, श्रीकांत अग्रवाल और अनिरुद्ध महाराज सहित अन्य सेवादार जुटे हुए हैं।

छिंदवाड़ा एसएनसीयू अग्निकांड

मृत बच्ची के परिवार को 4 लाख सहायता, दो बच्चों का इलाज कराएगी सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के एसएनसीयू में वॉर्मर में आग लगने से झुलसे तीन नवजात बच्चों में से एक की जबलपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने मृत बच्ची के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

उन्होंने बताया कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाररत अन्य दोनों बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिला प्रशासन के अधिकारी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन के संपर्क में हैं और बच्चों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा उपचार व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। घटना के बाद अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

286 लोगों की आंखों की जांचः 50 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित

नवयुवक सभा भवन में हुआ निःशुल्क शिविर का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय द्वारा भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से संतनगर स्थित नवयुवक सभा भवन में निःशुल्क नेत्र, दंत रोग निदान एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का शुभारंभ भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, एमआईसी सदस्य व पार्षद राजेश हिंगोरानी, अशोक मारण, सेवा सदन के सचिव हीरो ज्ञानचंदानी तथा मेला समिति के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान किशन सूर्यवंशी ने परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं।

शिविर में कुल 286 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें

124 पुरुष और 162 महिलाएं शामिल थीं।

जांच के दौरान 50 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिन्हें रविवार को एंबुलेंस के माध्यम से सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ले जाकर भर्ती किया जाएगा और सोमवार को उनके निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। मोतियाबिंद से मुक्त अन्य मरीजों को दवाइयां दी गईं, साथ ही सभी का ब्लड प्रेशर और शुगर भी जांचा गया। इसके अलावा, 170 लोगों के दांतों की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया गया।

वर्षाकाल में आयोजित होने वाले शिविरों की श्रृंखला में यह शनिवार को दसवां शिविर था। इस कड़ी का अगला और अंतिम शिविर रविवार, 30 अगस्त 2026 को जहांगीराबाद स्थित संत निरंकारी मंडल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शिविर संयोजक वासदेव वाधवानी, राजेंद्र गर्ग, अजय सोगानी, अनुपम अग्रवाल, सुरेश आवतरामानी उपस्थित रहा।

लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233जी-2 का स्थापना दिवस समारोह आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233जी-2 का स्थापना दिवस समारोह रविवार को नर्मदापुरम रोड स्थित होटल आमेर पैलेस में आयोजित किया जाएगा। समारोह में लायंस क्लब के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष लायन सी. रोबर्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

लायंस ऑफ भोपाल के समन्वयक हरिओम जटिया ने बताया कि समारोह में क्लब की आगामी गतिविधियों और कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा होगी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और सदस्यों को सराहना एवं सम्मान दिया जाएगा। समारोह में क्लब के पदाधिकारी, सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा गतिविधियों को और प्रभावी बनाना तथा आगामी कार्यों के लिए नई दिशा तय करना है। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा।

सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए बजरंग दल ने गौवंशों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला नया भोपाल द्वारा सड़कों पर बैठे गौवंशों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम के सहयोग से सड़क पर घूम रहे गौवंशों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

कोलार रोड क्षेत्र में गौवंशों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए बजरंग दल ने पहले चरण में 17 से 21 अगस्त तक गौ पालकों को जागरूक करने का अभियान चलाया। इसके बाद दूसरे चरण में 22 अगस्त को सड़कों पर मौजूद गौवंशों को नगर निगम की मदद से भोपाल के बाहर स्थित गौशालाओं में भेजा गया।

विहिप जिला नया भोपाल मंत्री मोहित सोनी ने बताया कि कोलार रोड पर कई वर्षों से गौवंशों का जमावड़ा बना रहता था, जिससे आए दिन पशुओं और आम लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

अभियान में जिला गौ रक्षा प्रमुख वीरेंद्र सोनी, सह गौ रक्षा प्रमुख विजय बाथम, प्रखंड मंत्री जीवन बाघेला, प्रखंड संयोजक ऋतिक सोनवाने सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

थाने का घेराव, प्रभारी से नोकझोंक

नप्र, भोपालः जहांगीराबाद थाने में थाना प्रभारी राजन सिंह और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। नाबालिग हिंदू लड़की के कथित अपहरण के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। शनिवार को दोनों के बीच हुई बहस का वीडियो सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर कुरावर से भोपाल ले आया, लेकिन शिकायत के बाद पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग की जल्द बरामदगी और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घेराव के दौरान चंद्रशेखर तिवारी थाना प्रभारी के कक्ष में पहुंचे, जहां दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त उमेश तिवारी भी मौजूद रहे और दोनों पक्षों को समझाइश देते नजर आए।

निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, कई क्षेत्रों से ठेले और अवैध निर्माण हटाए

नप्र, भोपालः नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम के अतिक्रमण निरोधक दल ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर बड़ी संख्या में अवैध कब्जे हटाए और कई सामान जब्त किए।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर की गई कार्रवाई में कोलार, जेके अस्पताल क्षेत्र, सिग्नेचर-99, ललिता नगर, मंदाकिनी, बिट्टन मार्केट, शिवाजी नगर, लिंक रोड, भारत माता चौराहा, अयोध्या बायपास, अशोका गार्डन, करोंद, टीला जमालपुरा, हमीदिया रोड सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान कोलुआ गांव रोड पर अवैध रूप से बनाई गई मिट्टी की दीवार को हटाया गया। वहीं अयोध्या बायपास के राजीव नगर क्षेत्र में लगी अवैध जाली, टीला जमालपुरा में सड़क पर रखी गिट्टी, काजी कैंप क्षेत्र में मेट्रो कार्य में बाधक दुकानों के बाहर लगे शेड और छोला दशहरा मैदान क्षेत्र में नालियों पर रखी फर्शियां हटाई गईं। निगम अमले ने कई स्थानों से ठेले, गुमठी, पान पार्लर, सब्जी और फल की दुकानें तथा दुकानों के बाहर रखा सामान भी हटाया। कार्रवाई के दौरान विश्वकर्मा नगर से आवागमन में बाधक पानी का टैंकर और छह ठेले जब्त किए गए।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं जेतराम पिता लालचंद उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बरहा खेड़ा, पिपालिया गोली तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मप्र का रहने वाला हूं। मेरी पुत्री का नाम उसकी अंकसूची, प्रवेश पंजी क्रमांक 342 में गलती से कुमारी सरस्वती दर्ज है, जो की गलत है। जबकि उसका सही नाम अमृता है। आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पर सही नाम अमृता ही दर्ज है। इसलिए मेरी पुत्री के प्रारंभिक शिक्षा चरण में हुई त्रुटि सुधार के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में मेरी पुत्री को अमृता के नाम ही जाना, पहचाना व दर्ज किया जाए।

AG

आम सूचना
(सम्पत्ति से बेदखल किए जाने के संबंध में)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण श्री सुनील सोनी आ. श्री जयदेव सोनी एवं श्रीमती जानकी सोनी पत्नि श्री सुनील सोनी दोनों निवासीः-537, ए-सेक्टर, भाग-2, अशोका गार्डन, भोपाल म.प्र. का एक पुत्र श्री उदित सोनी आ. श्री सुनील सोनी है, जो कि गलत संगत, असामाजिक गतिविधियों एवं गलत चाल-चलन में है, जो कि परिवार की किसी भी जिम्मेदारी का निवर्हन करने में सक्षम नहीं है और वर्तमान में किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है इस कारणवश मेरे पक्षकारगण अपने पुत्र उदित सोनी को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों से उसे बेदखल करते हैं। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण के पुत्र उदित सोनी से कोई भी व्यक्ति, शासकीय अथवा गैर शासकीय वित्तीय संस्था, सहकारी समिति, बैंक, सोसायटी, साझेदारी फर्म अथवा कंपनी किसी भी प्रकार का वित्तीय संव्यवहार न करे और यदि किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय संव्यवहार मेरे पक्षकारगण के पुत्र के साथ किया गया है अथवा भविष्य में किया जाता है तो उसमें मेरे पक्षकारगण की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी अथवा देयता नहीं रहेगी, उसकी जिम्मेदारी केवल उदित सोनी आ. श्री सुनील सोनी की व्यक्तिगत रूप से रहेगी।

मनीष रावतिया, अधिवक्ता
232, जोन-1, (एम.पी. नगर, भोपाल मो. 98262-95991

1388

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. 01 रापड़िया
तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क्रं 0143/23-24 अ-12/2026-27 ग्राम नाम-दीपड़ी

सूचना- पत्र

प्रति, 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा आ.स्व. रमेश प्रसाद नि.ई-7/9 चार इमली भोपाल। 2. श्रीमती कुमुद मिश्रा पत्नी श्री विनोद कुमार मिश्रा निवासी भोपाल। 3. श्री अंकुर शर्मा पिता श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी भोपाल। 4. श्री अरविन्द कुमार सिंह आ. श्री जनार्दन सिंह निवासी-418 शक्ति नगर भोपाल। 5 श्री राम दयाल आ. बसंतीलाल, जुगलकिशोर केशव प्रसाद, 6 श्री जयराम आ. खुशीलाल नारायण सिंह निवासी भोपाल। 7. श्री भगवत सिंह आ. उमराव सिंह निवासी भोपाल। 8. प्रवीण कुमार राय, शोभा स्वरुप राय, सोरभ राय एवं अन्य 9. सर्व साधारण को सूचनार्थ एक अन्य पड़ोसीगण। 10. स्नेह लता पत्नी किरण पाल पता- भोपाल।

विषय-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कुमुद्र मिश्रा (श्री अंकुर शर्मा आ. दिनेश शर्मा) पत्नी श्री विनोद कुमार आ. रामनारायण मिश्रा निवासी..... द्वारा ग्राम-दीपड़ी प.ह.नं-0... में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 276/30/1/2/2/1 रकबा क्रमांक 0.5570 हेक्टर भूमि का कुल रकबा 0.5570 हेक्टेयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तूत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 01/09/2026 को समय प्रातः 12:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 20/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार भोपाल जिला-भोपाल (म.प्र.)

1387

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.नं. रतनपुर सड़क
तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क्रं. 0198/अ-12/2026-27 ग्राम नाम-गोल

सूचना-पत्र

प्रति, 1. रिजवान मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद एवं अन्य नि.भोपाल। 2. श्री आलोक श्रीवास्तव आ. यशवन्त वर्मा.नि. भोपाल 3. बेनीप्रसाद आ. श्री झब्बूलाल साहू, प्रियंका आ नर्मदापुर प्रसाद। 4. ताराबाई, गीताबाई, कामताप्रसाद, कृष्णाबाई. मनीराम आ. गौरेलाल कमलेश, राजेश, ब्रजेश, गिरिजाबाई सकुनबाई, विमला बाई, कपील, सुनील, संदीप एवं अन्य निवासी ग्राम गोल भोपाल। 5. श्री अभिषेक द्विवेदी आ. श्री रविकांत द्विवेदी निवासी भोपाल। 6. फूलवतीबाई, सावित्रीबाई, उर्मिलाबाई, सरोज बाई, देवकीबाई, सुन्दरलाल हरिसिंह, भगवत सिंह, संजय ममताबाई एवं अन्य नि.गोल। 7. सचिन आ.श्री भीम सिंह, निवासी भोपाल। 8. सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण। 9. श्रीमती बबीता सिंह, पिंकी देवी पत्नी उदय सिंह निवासी भोपाल। 10. फरहाज खान स्व. श्री ऐजाज मोहम्मद खान, अयाज, ताहिरा बी सबिया एफाज खान निवासी भोपाल।

विषय-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदिक बेनीप्रसाद पिता-झब्बूलाल द्वारा निवासी-ग्राम गोल भोपाल। प.ह.नं-0... में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 23 रकबा क्रमांक 1.9500 हेक्टर भूमि का कुल रकबा 1.9500 हेक्टेयर भूमि का सीमाकंन हेतू आवेदन पत्र प्रस्तूत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 26/08/2026 को समय प्रातः..... बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 12/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार, जिला-भोपाल (म.प्र.)

1386

कार्यालय प्रोग्रेसिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजी. क्र./डी.आर.बी.-731, दिनांक 27.01.1997)
क्रमांक/निर्वा./2026/क्यू भोपाल, दिनांकः 22.08.2026

निर्वाचन आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत् विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 09.09.2026 को प्रातः 11.30 बजे से स्थानः भाई रतन कुमार भवन, लिंक रोड नं.-3, अपोजिट एनएचएम ऑफिस भोपाल पर आयोजित की गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.2026 को समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेगे, दिनांक 30.08.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे से नियोजन पत्रों की जांच की जाएगी एवं दिनांक 31.08.2026 समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्रो की वापसी स्थान-संस्था कार्यालय, भोपाल पर की जा सकेगी। तत्पश्चात उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जावेगा। विशेष साधारण सभा की सूचना के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सदस्यों को पृथक से डाक द्वारा भेजा गया है।

प्रशासक
प्रोग्रेसिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1385

-: सार्वजनिक सूचना :-
(भूखण्ड क्रं. 155, 156 "बागबान कालोनी" ग्राम बकानिया, भोपाल के संबंध में)

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्रीमती अजमत खान पत्नी श्री साहिल खान निवासी-एस-3, बी ब्लॉक, फतेह अली काम्पलेक्स, पीरगेट, भोपाल एवं श्री साहिल खान पुत्र श्री इश्तियाक अहमद खान निवासी-मकान नं. 359, महाजनी टोला, रकाबगंज, फैजाबाद उ.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड क्रं. 155 क्षेत्रफल 413.88 वर्गमीटर एवं भूखण्ड क्रं. 156 क्षेत्रफल 413.88 वर्गमीटर, कुल 827.76 वर्गमीटर, जो कि भूमि खसरा क्रं. 1183 के अंशभाग पर विकसित आवासीय कालोनी-बागबान, ग्राम बकानिया, भोपाल नगर निगम से बाहर निम्नलिखित चतुर्थसीमाओं के क्रय करने की सहमति मेरे पक्षकार से हो गयी है एवं निकट भविष्य में उक्त सम्पत्ति का पंजीयन कराया जाना है अतएव उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने में जिस किसी व्यक्ति (जन साधारण) बैंक, सोसायटी, संस्था, सहकारी समिति, शासकीय/अशासकीय विभागों को कोई आपत्ति हो या उक्त सम्पत्ति से कोई संबंध रखता हो या उक्त सम्पत्ति पर कोई लेनदारी या देनदारी हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय लिखित साक्ष्य मूल दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें म्याद गुजारने के पश्चात मेरे पक्षकार उक्त वर्णित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करा लेवेंगे तथा बाद में कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। चतुर्थ सीमायेंः-पूरब मे-भूखण्ड क्रं. 157, पश्चिम मे-रोड, उत्तर में-रोड, दक्षिण में-रोड

इन्द्र कुमार दीनानी अधिवक्ता
शिवम् लॉ चेम्बर
39, भवानी चौक, पीरगेट भोपाल
मो. नं. 9755474700

1384

विशेष सूचना

संस्था के सभी सम्मानिय सदस्य जिन्होंने संस्था में सदस्यता प्राप्त की थी लेकिन संस्था में भूमि/भूखंड उपलब्ध न होने से उनके द्वारा संस्था में संपर्क नहीं रखा जा रहा है उन्हें पुनः सूचित किया जाता है कि संस्था में संपर्क कर अपनी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए घोषणा पत्र के साथ अपने दस्तावेज दिनांक 07-09-26 तक संस्था में आकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त कर विधि अनुरूप कार्रवाई करते हुए सदस्यता समाप्ति का निर्णय लिया जाकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी जिसके लिए ऐसे सदस्य स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

अध्यक्ष
कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
मो.9993144994

1383